

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2024—आश्विन 16, शक 1946

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्रमांक/AGR/18/0011/2024-Sec-2-14(AGR)(347931):- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक/डी-6-35/81/65/14-3 दिनांक 16/04/1981 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति गुना के मंडी क्षेत्र अन्तर्गत निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण (फल-सब्जी) घोषित करती है :-

स्थान

ग्राम पंचायत हरिपुर, ग्राम माधोपुर, तहसील गुना जिला गुना के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 112/1 रकबा 1.759 हेक्टेयर खसरा क्रमांक 112/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 179 रकबा 0.50 हेक्टेयर कुल रकबा 3.259 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:-

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्र (हेक्टेयरमें)
1	112/1	1.759
2	112/2	1.00
3	179	0.50
	योग	3.259

जिसकी सीमाएं

- उत्तर में - निजी भूमि।
- दक्षिण में - गुना-सिंघाडी पट्टी सड़क।
- पूर्व में - निजी भूमि।
- पश्चिम में - निजी भूमि एवं शासकीय खसरा नंबर 88/2 की सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्र. AGR-18-0011-2024-Sec-2-चौदह (AGR)(347931).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th October 2024

NO/ AGR/18/0011/2024-Sec-2-14(AGR)(347931):- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares the following areas, for which a market area at Guna has been established by this Department's Notification No. D-15-35/81/65/14-3 dated 16/4/1981, shall be an additional market yard (Fruits &Vegetables) namely:

PLACE

An area of 3.259 Hectare land of below mentioned Survey number 112/1 area 1.759Hectare, Survey number 112/2 area 1.00 Hectare, and Survey number 179 area 0.50 Hectare, at Gram Panchayat Haripur, Gram Madhopur in Tehsil Guna of District Guna.

S.No.	Survey No.	Area (In Hectare)
1	112/1	1.759
2	112/2	1.00
3	179	0.50
	Total	3.259

BOUNDED BY

On the North by - Private Land.
On the South by - Guna - Sighadi Pakki Road.
On the East by - Private Land.
On the West by - Govt. Land of Survey No. 88/2 and Private Land etc.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHASKAR LAKSHAKAR, Add. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्रमांक/AGR/18/0011/2024-Sec-2-14(AGR)(347931):- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा, विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08/10/2024 के अधीन घोषित अतिरिक्त मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र गुना के ग्राम माधोपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करती है:-

क्षेत्र

1. ग्राम पंचायत हरिपुर ग्राम माधोपुर तहसील गुना जिला गुना की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
2. मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र -
(1) गुना (2) ढोलबाज (3) हरिपुर (4) बमोरी बुजुर्ग (5) गढा (6) सिंघाडी (7) ऊमरी (8) बरोदिया खुर्द (9) महूगडा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्र. AGR-18-0011-2024-Sec-2-चौदह (AGR)(347931).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th October 2024

NO/SAMB/0033/2024-EXPORT-SAMB(298308):- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in relation to the additional market yard declared vide this Department's Notification even number dated 08/10/2024 the following area's go Guna Gram Madhopur shall be a market proper namely:

AREA

1. An area the limit of Gram Panchayat Haripur and Gram Madhopur in Tehsil Guna of District Guna.
2. An area comprising of the following villages with the radius of 5 Kilometers form the market yard namely -
(1) Guna (2) Dholbaaz (3) Haripur (4) Bamori Bugurj (5) Garha (6) Sighadi (7) Umri (8) Barodiya Khurd (9) Mahoogarha.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHASKAR LAKSHAKAR, Add. Secy.